छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

नया रायपुर, दिनांक 20 MAY 2015

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–7/2004/XII :: राज्य शासन एतद्द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–3 (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 एवं इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–9/2011/बारह, दिनांक 25 जनवरी, 2014 के प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :–

### संशोधन

1. उक्त मूल निर्देश की कंडिका 4(4) के बाद निम्नानुसार 4(4क) अंतःस्थापित किया जाता हैः–

"4(4क)(एक). रेत खदानों का संचालन अनुमोदित उत्खनन प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। उत्खनन प्लान बनवाने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की होगी।"

(दो). उत्खनन प्लान जिले में पदस्थ खनि निरीक्षक जो भू–विज्ञान विषय के साथ स्नातक अथवा माइनिंग इंजिनियरिंग की उपाधि धारक हो, के द्वारा तैयार कराया जायेगा,

(तीन). उत्खनन प्लान का अनुमोदन जिले में पदस्थ ऐसे खनि अधिकारी/उप संचालक (खनिज प्रशासन) जो भू–विज्ञान विषय के साथ स्नातक अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग उपाधि धारक हो के द्वारा किया जायेगा।

(चार). उक्त अर्हताधारित उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं होने की स्थिति में पड़ोसी जिला कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म में पदस्थ उक्त अर्हताधारित उप संचालक/खनि अधिकारी द्वारा उत्खनन प्लान का अनुमोदन किया जायेगा।

2. मूल निर्देश की कंडिका 4(9)(ख) के बाद निम्नानुसार 4(9)(ग) अंतःस्थापित किया जाता है।

"4(9)(ग). रेत खनन के उत्खनन प्लान तैयार कराने के लिये व्यय।"

3. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/-
(के0डी0 कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग